

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०६/२०१८-
बिहार सरकार
केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, पटना।

पटना, दिनांक-

अधिसूचना

संख्या-२/परी०-०९(को०प्र०)-०६/२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-१४३९३, दिनांक-१५.११.२०१७ द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु प्रदत्त दायित्व के आलोक में दिनांक-१५.०५.२०१८ को केन्द्रीय परीक्षा समिति में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों के लिये कोषागार प्रशिक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित अवधि चार सप्ताह के स्थान पर दो सप्ताह निर्धारित किया जाता है। यह आदेश दिनांक-१३.१२.२०१८ से प्रभावी होगा।

२. प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।
३. अधिसूचना के प्रस्ताव एवं आदेश में माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०२/परी०-०९(को०प्र०)-०६/२०१८-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०२/परी०-०९(को०प्र०)-०६/२०१८- ७३२

पटना, दिनांक:- २३-०६-२०२१

- प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग, बिहार/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ महानिदेशक (प्रशिक्षण) बिपार्ड, वाल्मी कॉम्पलेक्स, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रोग्रामर, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।